अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 155 /2013–14

श्री रामचन्द्र भण्डारी बनाम मो0 दलती देवी एवं 11 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया। अवलोकन रामचन्द्र भण्डारी पिता– स्व0 नथुनी भण्डारी उर्फ नथुनी माली साकिन– मोहल्ला नुनिया टोला बजाज भवन क पीछे वार्ड नं0– 12 (नया 19) एम0 आर0 एम0 रोड पोस्ट– लालबाग थाना नगर दरभंगा ने प्रस्तुत वाद रीवीजनल सर्वे खतियान (खाता नं0– 115 खेसरा नं0– 214 (क) नं0/8333 पु0, 8334 पु0 अ0 अ0 रकवा 01 कट्ठा 05 में से 12 1/2 धुर का हाल सर्वे खतियान में अपने नाम संशोधन हेतु) की प्रविष्टि में वंशावली के आधार पर संशोधन करने तथा उसपर अपने दखल कब्जे में विपक्षीयों को हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित करने के निमित दाखिल किया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी प्रथम पक्ष के पिता के नाम जाल फरेब करके बना हाल सर्वे खतियान बिल्कुल नाजायज वो कानून के खिलाफ है तथा इनके हक हिस्सा के मोताबिक हाल सर्वे खतियान में सुधार होना आवश्यक है। विपक्षी प्रथम पक्ष राजेश भण्डारी पिता– स्व0 कैलाश भण्डारी का कहना है कि इनके पूर्वज से समाज के सामने आपसी मौखिक बँटवारा हो गया है, वर्त्तमान में कोई भूमि खाली नहीं है और सभी भूमि पर इनका मकान है। इनका यह भी कहना है कि इनकी ओर से कोई जाली काजगात नहीं बनाया गया है बल्कि आवेदक के पिता से छः धुर भूमि खरीद की गई, चूँकि जमीन खरीदने पर रास्ता नहीं था इसलिए आवेदक के पिता ने 03 1/2 धुर भूमि जो रास्ता के लिए दिया था उसका पैसा लेकर छः धुर जमीन बेचा। साथ हीं आवेदक ने कुछ पैसा लेकर शेष जमीन महाजन के पास बन्धक रख दिया और यहाँ से पलायन कर गये, महाजन ने जब बार–बार धमकी दिया तो आवेदक ने बोले कि आप मेरी जमीन फरोख्त कर लें तदुपरान्त इनलोगों ने उस जमीन को जो बन्धक था उसे पैसा देकर महाजन से मुक्त करा लिया और अब आवेदक का कोई जमीन इनलोगों के पास नहीं है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	विपक्षी द्वितीय पक्ष गंगा भण्डारी पिता– कैलू भण्डारी का कहना है कि आवेदक का माँग बिल्कुल सही है, यदि खतियान में संशोधन होता है तो इन्हें कोई एतराज नहीं है। उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे का अध्ययन किया। आवेदक ने इस न्यायालय से वर्त्तमान हाल सर्वे खतियान को रद्द घोषित करने की अनुतोष की माँग की है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का है। अतः आवेदक के द्वारा मांगी गई अनुतोष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं शुद्धित** 07/08/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 07/08/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा**	